

भारत गणराज्य की सरकार और लात्विया गणराज्य की सरकार के बीच
संस्कृत, कला, शिक्षा, विज्ञान, जन-प्रचार और खेल-कूद
के क्षेत्रों में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन

.....

भारत गणराज्य की सरकार और लात्विया गणराज्य की सरकार §जन्हें इसके बाद "पक्ष" कहा
गया है§

ऐतिहासिक और परम्पारिक मैत्रीपूर्ण संबंधों से सचेत;

संस्कृत, कला, शिक्षा, विज्ञान, पर्यटन, खेल-कूद और जन-प्रचार के क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संभव
सहयोग बढ़ाने की इच्छा से;

नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं;

अनुच्छेद-एक

दोनों पक्ष अपनी-अपनी इस इच्छा की घोषणा करते हैं कि वे संस्कृत, कला, शिक्षा, विज्ञान,
पर्यटन, खेलकूद और जन-प्रचार के क्षेत्रों में सहयोग बनाए रखेंगे तथा उसे सुदृढ़ करेंगे।

अनुच्छेद-दो

दोनों पक्ष अपनी-अपनी यह इच्छा व्यक्त करते हैं कि वे आपसी सांस्कृतिक विनिमय को संवर्धित
करेंगे, सहयोग को प्रोत्साहित करेंगे और दोनों पक्षों की शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खेल-कूद संबंधी
और अनुसंधान संस्थाओं के बीच संबंधों के विकास को समर्थन देंगे।

अनुच्छेद-तीन

प्रत्येक पक्ष अपने संसाधनों और अपेक्षाओं के अनुरूप दूसरे पक्ष द्वारा संस्तुत सध्टुकों को अपने शैक्षक, सांस्कृतक, वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में अध्ययन, प्रशिक्षण अनुसंधान कार्य करने और विशेषज्ञता प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करेगा।

अनुच्छेद-चार

दोनों पक्ष वचन लेते हैं कि वे इस समझौता ज्ञापन की शर्तों को लागू करने के लिए हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए सभी उपयुक्त उपाय करेंगे।

अनुच्छेद-पांच

इस समझौता ज्ञापन की शर्तों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से दोनों पक्ष एक दल गठित करने पर सहमत हैं जिसमें प्रत्येक पक्ष के बराबर-बराबर प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दल के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

- ॥क॥ आदान-प्रदान का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करना, और
- ॥ख॥ इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की सावधिक समीक्षा करना।

इस दल की यथावश्यक बैठक होगी।

अनुच्छेद-छह

मौजूदा समझौता ज्ञापन इसपर हस्ताक्षर होने की तारीख को लागू होगा और पांच वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा और इसकी अवधि एक साथ पांच वर्ष के लिए स्वयंमेव बढ़ जाएगी जब तक

कि दोनों में से कोई एक पक्ष दूसरे पक्ष को इसे समाप्त करने की अपनी मंशा की लिखित सूचना इस कथर की वैधता की अवधि समाप्त होने से छह महीने पहले न दे दे।

रिगा में, आज ईसवी सन् एक हजार नौ सौ पंचानवे के मास के दिन हिन्दी, लात्वियाई और अंग्रेजी भाषाओं में दो-दो मूल प्रतियों में सम्पन्न किया गया, ये सभी पठ समानरूप से प्रमाणिक हैं। सन्देह की स्थिति में अंग्रेजी पठ सर्वोपरि होगा।

सत्यमिण सुब्रह्मण्य

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

Vaidis Borens

लात्विया गणराज्य की
सरकार की ओर से

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ON COOPERATION BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF LATVIA IN THE SPHERES OF
CULTURE, ARTS, EDUCATION, SCIENCE, MASS-MEDIA AND SPORTS**

The Government of the Republic of India and the Government of the Republic of Latvia hereafter referred to as "Parties",

Moved by the historical and traditional feelings of friendship,

Declaring their intention to develop and strengthen undeviating friendship and cooperation between both Parties and peoples in the spheres of culture, arts, education, science, tourism, sports and mass-media,

Have agreed on the following:

ARTICLE 1

The Parties declare their desire to maintain and strengthen cooperation in the fields of culture, arts, education, science, tourism, sports and mass-media.

ARTICLE 2

The Parties express their desire to promote mutual cultural exchange, to stimulate cooperation and support, the development of relations between the educational, scientific, cultural, sporting and research institutions of the two Parties.

ARTICLE 3

Each Party will receive, as far as its own resources and requirements will permit, nationals recommended by the other Party for study, training, carrying out research work and specialisation in its educational, cultural, scientific and technical institutions.

ARTICLE 4

The two Parties pledge themselves to take all appropriate measures to provide all possible facilities for giving effect to the terms of this Agreement.

ARTICLE 5

For the purpose of carrying out the terms of this Agreement, the Parties agree to set up a Group consisting of an equal number of representatives of each Party. The objectives of the Group will be :

- a) to formulate a detailed programme of exchanges, and
- b) to keep under periodical review the implementation of the Agreement.

The Group shall meet as and when necessary.

ARTICLE 6

The present Agreement shall come into force from the date of its signing and shall be valid for five years. Its terms shall be automatically prolonged for a further period of five years if neither of the Parties notifies the other on its decision to terminate it 6 months in advance of the expiry date.

Signed at Riga on the 1st day of September 1995 A.D. in duplicate in two original sets in Hindi, English, Latvian. All the texts being equally authentic.



(Salman Khurshid)
Minister of State for External Affairs
For the Government of the
Republic of India



(Valdis Birkavs)
Minister of Foreign Affairs
For the Government of the
Republic of Latvia